

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.28/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 सितंबर, 2017

सा.का.नि. _____ (अ) .-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक जुलाई, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटी आर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करती है।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार